रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

सत्यमेव जयते

एस.जी.-डी.एल.-अ.-24012024-251587
SG-DL-E-24012024-251587

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 32]	दिल्ली, बुधवार, जनवरी 24, 2024/माघ 4, 1945	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 402
No. 32]	DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 24, 2024/MAGHA 4, 1945	[N. C. T. D. No. 402

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट (दक्षिण-पश्चिम)

प्राथमिक अधिसूचना

दिल्ली, 18 जनवरी, 2024

No. ADM/LAC/SW/2023-24/5938.—भारत सरकार, गृह मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ . 2740 (अ) दिनांक 21 अक्तूबर 2014 को एस. ओ. 2014(अ) दिनांक 21 जुलाई 2015 के साथ पठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उप राज्यपाल को उपयुक्त सरकार होने के नाते यह उचित प्रतीत होता है की सड़क संख्या 226 की आवागमन सुविधा सुनिश्चित करने के सार्वजनिक प्रयोग हेतु दक्षिण पश्चिम जिले के कापासहेड़ा उप मण्डल के भरथल गाँव में स्थित खसरा न. 4//21 मिन में कुल 2 बीघा 4.5 बिस्वा (0.1876 हेक्टेयर) भूमि की आवश्यकता है।

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के अध्याय II की धारा (4) से धारा (8) तक के अनुपालन से,माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने डब्ल्यू. पी. (सी.) संख्या 9173/2015 और सी. एम. अपल. संख्या 51495/2019, 21613/2021, 17886/2022, 20392/2022,

45299/2022 और 6186/2023 जिनका शीर्षक विनोद राजौरिया बनाम डी. डी. ए. व अन्य है के संदर्भ में अपने आदेश दिनांक 08 दिसम्बर 2023 द्वारा छूट दी है।

इसलिए अधिग्रहण के अधीन मापन कुल 2 बीघा 4.5 बिस्वा (0.1876 हेक्टेयर) भूमि का हिस्सा दक्षिण पश्चिम जिले के कापसहेड़ा उप मण्डल के भरथल गाँव में उपरोक्त परियोजना के लिए अधिसूचित किया जाता है, अधिग्रहण की जाने वाली जमीन का विस्तृत विवरण निम्नलिखित है:

क्रम सं.	खसरा नं.	गाँव का नाम	भूमि का प्रकार	अधिग्रहण के अंतर्गत क्षेत्र(हेक्टेयर में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम एवं पता	सीमाएँ			
						उत्तर	दक्षिण	पुर्व	पश्चिम
1	4//21	भरथल	कृषि	0.1876	विनोद कुमार राजोरिया पुत्र राजोरिया पता 189 एकता मार्ग वेस्टर्न एवन्यू सैनिक फार्म नई दिल्ली	4//20	12//1	4//22	5//25

पेड़		संरचना	
प्रकार	संख्या	प्रकार	संख्या
शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

यह अधिसूचना सभी संबंधित के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11(1) के प्रावधानों के तहत उन सभी के लिए बनाई गई है, जिनसे यह संबंधित हो सकता है।

अधिग्रहित की जाने वाली भूमि से संबंधित नक्शा एवं अन्य विवरण का निरीक्षण हितधारी व्यक्तियों द्वारा , जिला कलेक्टर (दक्षिण-पश्चिम), राजस्व विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार और उप-निदेशक (एल.एम.), साऊथ वैस्ट जोन, दिल्ली विकास प्राधिकरण, नियर पोस्ट ऑफिस, डी. डी. ए. मार्किट, सेक्टर-6, द्वारका, नई दिल्ली - 110075 को किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है ।

सरकार ने उक्त अधिनियम की धारा 12 में दिए गए और निर्दिष्ट अनुसार अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (दक्षिण-पश्चिम) और उनके कर्मचारियों को भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि का स्तर मापने , उप-मिट्टी में खुदाई करने या बोर करने और उनके उचित निष्पादन के लिए अन्य सभी कार्य करने के लिए अधिकृत किया है।

अधिनियम की धारा 11 (4) के तहत , कोई भी व्यक्ति कलेक्टर की पूर्व अनुमति के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कोई लेन देन नहीं करेगा या इस भूमि का कोई लेनदेन यानी बिक्री/खरीद नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं करेगा।

कोई हितबद्ध व्यक्ति, जिसे अधिग्रहण पर कोई आक्षेप हो, अधिनियम की धारा 15 के तहत इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर कलेक्टर (दक्षिण-पश्चिम) के समक्ष दायर की जा सकती है।

उप-राज्यपाल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

के आदेश एवं उनके नाम पर,

लक्ष्य सिंघल, आई.ए.एस. कलेक्टर (जिला दक्षिण-पश्चिम)

OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE (SOUTH WEST)

PRELIMINARY NOTIFICATION

Delhi, the 18th January, 2024

No. ADM/LAC/SW/2023-24/5938.—In the exercise of the power conferred by sub section (1) of section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 read with Government of India, Ministry of Home Affairs Notification No. S. O. 2740(E) dated 12st October, 2014 read with S. O. 2014 (E) dated 21.07.2015, it appears to Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi, being the appropriate Government that in total 2 Bigha 4.5 Biswa (0.1876 Hectare) land bearing Khasra No. 4//21min is required in the Bharthal Village of Sub Division of Kapashera in District South-West for public purpose namely for providing the access of road no. 226 in Bharthal Village.

The compliance of Section 4 to 8 of Chapter II of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 are exempted by Hon'ble High Court of Delhi vide order dated 08/12/2023 in W.P. (C) 9173/2015 & CM APPL. 51495/2019, CM APPL. 21613/2021, CM APPL. 17886/2022, CM APPL. 20392/2022, CM APPL. 45299/2022, CM APPL. 6186/2023titled as Vinod Rajoria Vs. DDA & ors.

Therefore it is notified that for the above said project in the Bharthal Village of Kapashera Sub-Division, South West District a piece of land measuring 0.1876 Hectare viz; 2 Bigha 4.5 Biswa of standard measurement, whose detail description is as follows, is under acquisition:-

Sl. No.	Survey No./Khasra No.	Type of title	Type of land	Area under acquisition (in hectare)	Name and address of the person interested	Boundaries			
						N	S	E	W
1.	4//21	Private	Agriculture/ Urbanised	0.1876	Vinod Kumar Rajoria S/o B. L. RajoriaR/o 189, Ekta Marg, Western Avenue, Sainik Farm, New Delhi	4//20	12//1	4//22	5//25

Trees		Structure	
Variety	Number	Type	Plinth area
Nil	Nil	Nil	Nil

This notification is made under the provisions of section 11(1) of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (30 of 2013), to all whom it may concern.

The Plan and other details of the land to be acquired can be inspected by the interested person in the office of the Collector District (South-West), Revenue Department. Government of NCT of Delhi and office of the Dy. Director, DDA Market, Sector – 6, Dwarka, N. Delhi- 75, South-west Delhi on any working day during the working hours.

The Government is pleased to authorise Additional District Magistrate and his staff to enter upon and survey land, take levels of any land, dig or bore into the sub-soil and do all other acts required for the proper execution of their work as provided and specified in section 12 of the said Act.

Under section 11(4) of the Act, no person shall make any transaction or cause any transaction of land i.e., sale/purchase, etc., or create any encumbrances on such land from the date of publication of such notification without prior approval of the Collector.

Objections to the acquisition, if any, may be filed by the person interested within 60 (sixty days) from the date of publication of this notification as provided under section 15 of the Act before Collector.

By Order and in the Name of Lieutenant Governor,

National Capital Territory of Delhi,

LAKSHAY SINGHAL, IAS Collector (District South-West)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2024.01.24 20:41:24 +05'30'